तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मि0नं0 436/दावा/2019 सुशीलाबाई बनाम् राजस्थान सरकार

17/10/2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया सुशीला मीणा ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम ककवासा की जमाबंदी सं0 2072-75 की खतोनी सं0 27 की ख0नं0 25 रकबा 21.01 बीघा आराजी में प्रार्थीया का नाम सहवन से सुशीलाबाई के स्थान पर ममताबाई पत्नि स्व0 शकर जाति मीणा अंकित हो गया है जबकि सही नाम सुशीलाबाई पत्नि शंकरलाल जाति मीणा निवासी पीपल्दा है। ग्राम पंचायत के प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक डायरी में यही नाम अंकित है। अतः प्रार्थीया का नाम खाते में शुद्ध किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम ककवासा की जमाबंदी सं0 2072-75 की खतोनी सं0 27 की ख0नं0 25 रकबा 21.01 बीघा आराजी में भुवनेश नाबा0 पुत्र शंकर, सुमन, शिवानी नाबा0 पुत्रिया शंकर, ममताबाई पत्नि र0 शंकर नाबा0 की वली माता ममताबाई 1/15 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। अर्थात इस जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम ममताबाई दर्ज है, जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत धानीदाकला दिनांक 26.06.19, 05.09.2019, आधारकार्ड, भामाशाह कार्ड, स्टेट बैंक की बचत खाता डायरी में प्रार्थीया का नाम सुशीलाबाई दर्ज है। ग्राम पंचायत धानीदाकलां ने अपने प्रमाण पत्र दि0 26.06.2019 से यह अवगत कराया है कि सुशीलाबाई व ममताबाई एक ही महिला के दो नाम हैं। ऐसे में न्यायहित में प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ककवासा की जमाबंदी सं0 2072-75 की खतोनी सं0 27 की ख0नं0 25 रकबा 21.01 बीघा आराजी में प्रार्थीया का नाम ममताबाई के स्थान पर ममताबाई उर्फ सुशीलाबाई पत्नि शंकरलाल शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 17/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 11:59:56 IST
Reason: SelfAttested